## ।। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – सुश्री नवज्योति कंवरिया, आर०ए०एस०

| राजस्व वाद नं० | तारीख रज्जू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 1/12 | 06.02.2023 | 27.12.2023 |

01– सुरेश चन्द यादव पुत्र श्री सुगन चन्द यादव

02– रमेश चन्द यादव पुत्र श्री सुगन चन्द यादव

जतियान अहीर, निवासीयान ग्राम उमरैण तहसील व जिला अलवर।

–वादीगण

**बनाम**

01– जुबेर पुत्र साहबदीन

02– दीन मोहम्मद पुत्र आसीना

03– धोली पुत्री साहबदीन

04– फोजू खां पुत्र आसीना

05– मौजखॉ पुत्र आसीना

06– रमजू पत्नी आसीना

07– रस्सी पुत्री साहबदीन

08– शकूल खां पुत्र साहबदीन

09– सन्नी पुत्री आसीना

10– सुफेदी पत्नी साहबदीन

11– सूबेदार पुत्र चांदसिंह

12– हक्कू खां पुत्र आसीना

13– हाकमदीन पुत्र आसीना

जातियाान मेव निवासीयान साहडोली तहसील व जिला अलवर

14– राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार अलवर तहसील व जिला अलवर

–प्रतिवादीगण

**<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955</u>**

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:42:37 IST
Reason: SelfAttested

**–: निर्णय :–**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 483 रकबा [illegible] ऐयर, 484 रकबा 1[illegible] ऐयर, 485 रकबा 38 ऐयर कुल किता 3 रकबा 67 ऐयर वाके ग्राम सूकला

सहायक कलक्टर

तहसील व जिला अलवर में स्थित है। जो वाद में विवादित आराजी है। विवादित आराजी चांदसिंह, दलबीरा, आसीना पुत्रान चन्दू जातिमान मेव के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी थी, जिस आराजी को वादीगण ने जरिये बैयनामा दिनांक 19.06.1981 को खरीद कर कब्जा आराजी का भौतिक रूप से प्राप्त कर लिया। जिस पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। काश्तकारी कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे है। वादीगण उक्त आराजी के काबिज खातेदार काश्तकार है किसी अन्य व्यक्ति का कोई संबंध व सरोकार किसी तरह का नही है। वादीगण ने जब विवादित आराजी का खरीद किया था उस समय विवादित आराजी ग्राम सावडी में स्थिति थी बाद में उक्त ग्राम पटवार क्षेत्र ग्राम सूकल में चली गई। वर्तमान में उक्त विवादित आराजी राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम सूकल में स्थित है। जिस कारण वादीगण के नाम उक्त आराजी विवादित खरीदशुदा का इंतकाल वादीगण के नाम नही चढ पाया है। बाद खरीद आराजी विक्रेतागण चांदसिंह व आसीना का देहान्त हो गया ओर उनके वारिसान विवादित आराजी के बाबत बहैसियत खातेदारी काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड हो गये इसलिए भी विवादित आराजी के बाबत बैयनामा व राजस्व रिकॉर्ड का मिलान नही होने के कारण इंतकाल की कार्यवाही नही हो सकी। जिससे वादीगण के अधिकार बाबत विवादित आराजी प्रभावित हो रहे है तथा वादीगण को नुकसान होने का अन्देशा हो गया है। वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से इंतकाल वादीगण के नाम व हक में चढाने का निवेदन किया किन्तु उनके द्वारा टालबाल का जवाब दिया गया। अन्त में वादीगण ने दिनांक 11.01.2023 को प्रतिवादीगण से इन्तकाल दर्ज करने का निवेदन किया जिसे उन्होने इंकार कर दिया। दावा हाजा के लिए बिनायदावी व बिनायमुखसमत पैदा होने की तारीख 11.01.2023 जिस रोज प्रतिवादीगण इंतकाल दर्ज करने से इंकार कर दिया। अन्त में वादीगण ने वाद डिक्री इश्तकरारहक बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाकर प्रतिवादीगण को आदेशित किया जावे कि वो वादीगण के पक्ष में विवादित आराजी खसरा नम्बर 483 रकबा 13 ऐयर, 484 रकबा 16 ऐयर एवं 485 रकबा 38 ऐयर कुल किता 3 रकबा 67 ऐयर वाके ग्राम सूकल तहसील व जिला अलवर के बाबत इंतकाल दर्ज कर वादीगण को उक्त आराजी का काबिज काश्तकार खातेदार दर्ज करने का न्यायालय को निवेदन किया।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 483 रकबा 13 ऐयर, 484 रकबा 16 ऐयर एवं 485 रकबा 38 ऐयर कुल किता 3 रकबा 67 ऐयर [illegible] सूकल तहसील व जिला अलवर में स्थित है। वादग्रस्त आराजी [illegible] दलबीरा व आसीना पुत्र चन्दू खां के कब्जे काश्त [illegible] थी जिस आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:42:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अलवर (राज

CS CamScanner

को दिनांक 19.06.1981 को जर्ये बैयनामा वादीगण को विक्रय कर दिया। वादीगण बैयनामा की तारीख से ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी पहले ग्राम सावडी में स्थित थी अब उक्त आराजी ग्राम सूकल पटवार क्षेत्र में चली गई है। जिस कारण विवादित आराजी का बैयनामे के आधार पर इंतकाल दर्ज नही हो सका। विक्रेता चांदसिंह, आसीना का स्वर्गवास हो चुका है। हम प्रतिवादीगण उनके वारिसान है। वादीगण अपने बैयनामे के आधार पर इंतकाल दर्ज कराते है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। यदि वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है तो इसमें प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में PW-1 सुरेश चन्द यादव पुत्र सुगन चन्द एवं PW-2 सुबेदार पुत्र चांद खां के शपथ पत्र पेश कर बयान कराये गये एवं दस्तावेजात पर निम्नानुसार प्रदर्श–1 लगा० प्रदर्श–2 डाले गये।

प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2074 प्रदर्श–1 एवं सत्यप्रतिलिपि बैयनामा दिनांक 20.06.1981 प्रदर्श–2 डाले गये।

उभयपक्ष की बहस सुनी। उभय पक्ष के वकील साहिबान ने वाद को डिक्री किये जाने का न्यायालय को निवेदन किया।

पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 483 रकबा 13 ऐयर, 484 रकबा 16 ऐयर एवं 485 रकबा 38 ऐयर कुल किता 3 रकबा 67 ऐयर वाके ग्राम सूकल तहसील व जिला अलवर पर से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कर, वादीगण का नाम जमाबन्दी में कब्जे काश्त के खाने में बहैसियत काबिज काश्तकार खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है। अतः वादीगण को वादग्रस्त आराजी का काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार अलवर को आदेश दिये जाते है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 483 रकबा 13 ऐयर, 484 रकबा 16 ऐयर एवं 485 रकबा 38 ऐयर कुल किता 3 रकबा 67 ऐयर वाके ग्राम सूकल तहसील व जिला अलवर पर से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कर वादीगण का नाम जमाबन्दी के कब्जे काश्त के खाने में बहैसियत काबिज काश्तकार खातेदार दर्ज करे। तदानुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नियमानुसार बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:42:37
Reason: SelfAttested

(नवज्योति कंवरिया)
सहायक कलक्टर
अलवर

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
**न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर**
पीठासीन अधिकारी :– सुश्री नवज्योति कंवरिया RAS

उनवान
सुरेश वगै० **बनाम** जुबेर वगै०

दावा बाबत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
मुकदमा नम्बर :– 1/12/2023
निर्णय दिनांक :– 27.12.2023

वकील वादीगण श्री ओमप्रकाश यादव एवं वकील प्रतिवादीगण श्री देवकीनन्नदन यादव की उपस्थिति में वाद में आज तारीख 27.12.2023 को अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, तहसीलदार अलवर को आदेश दिये जाते है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 483 रकबा 13 ऐयर, 484 रकबा 16 ऐयर एवं 485 रकबा 38 ऐयर कुल किता 3 रकबा 67 ऐयर वाके ग्राम सूकल तहसील व जिला अलवर पर से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कर वादीगण का नाम जमाबन्दी के कब्जे काश्त के खाने में बहैसियत काबिज काश्तकार खातेदार दर्ज करे। तदानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 27.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(नवज्योति कंवरिया)
सहायक कलक्टर
अलवर

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

वाद के खर्चे

| वादी | | प्रतिवादी | |
|---|---|---|---|
| 1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प | रूपया | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | रूपया |
| 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | अर्जी के लिए स्टाम्प | |
| 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प | | प्लीडर की फीस | |
| 4..... रूपये पर प्लीडर की फीस | | साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | |
| 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय | | आदेशिका की तामील | |
| 6.कमिश्नर की फीस | | कमिश्नर की | |
| 7.आदेशिका की तामील | | | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:42:37 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner